फर्द अहकाम

अशोक कुमार **बनाम** शिवकरण व अन्य

यालय S.D.O.-Ist

या JPR 07/19

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	आज दिनांक.............. को पत्रावली पेश हुई पी.ओ.सा. अवकाश/अन्य राजकार्य पर/कंडोलैंस है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक.......... को पेश हो।	
27-9-19	पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरीकैन उपस्थित। अप्रार्थीगण 19, 20, 21 का जवाब बन्द किया जाता है। पत्रावली वास्ते अन्तिम बहस व निर्णय दिनांक 11-10-19 को पेश हो।	
	आज दिनांक 11-10-19 को पत्रावली पेश हुई पी.ओ.सा. अवकाश/अन्य राजकार्य पर/कंडोलैंस है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 25-10-19 को पेश हो।	
25-10-19	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी-अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिसल है। ~~पत्रावली~~ फैसल-शुमार, नम्बर से कम हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। उप खण्ड अधिकारी जयपुर (प्रथम) जयपुर	767 [illegible]

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम, जयपुर

प्रार्थना पत्रः 7/2019

पीठासीन अधिकारीः– युगान्तर शर्मा **RAS**

1. अशोक कुमार पुत्र शिवरूराम जाति हरिजन निवासी 13 मरूधर विहार खतीपुरा रोड जयपुर जरिये मुख्त्यारआम हनुमान सिंह पुत्र देवी सिंह राठौड निवासी 172 ऑफिसर्स कैम्पस, सिरसी रोड जयपुर।

–प्रार्थी

बनाम

1. शिवकरण पुत्र नान्छा ।
2. रतन लाल पुत्र नान्छा।
3. राकिशोर पुत्र नान्छा।
4. दौलतराम पुत्र नान्छा।

   समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम सुशीलपुरा तहसील व जिला जयपुर।
5. दीपचन्द पुत्र रामनिवास यादव।
6. केसर पत्नी स्व. गौरू।
7. रामकरण पुत्र गौरू।
8. भोमाराम पुत्र गौरू।
9. गीता देवी पत्नी स्व. छोटीलाल।
10. हंसा नाबालिग पुत्री छोटीलाल जरियें संरक्षिका माता गीता देवी ।
11. सुमित्रा नाबालिग पुत्री छोटीलाल जरियें संरक्षिका माता गीता देवी।
12. गुगली नाबालिग पुत्री छोटी लाल संरक्षिका माता गीता देवी समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम सुशीलपुरा तहसील व जिला जयपुर।
13. कैलाश चन्द पुत्र घासीराम।
14. लक्ष्मण पुत्र घासीराम।
15. कृष्ण चन्द पुत्र घासीराम।
16. भगवान सहाय पुत्र घासीराम।
17. कृष्ण पुत्र छोटीलाल नाबालिग जरियें संरक्षिका माता पिता गीता देवी।
18. मीनू पुत्री छोटीलाल नाबालिग जरियें संरक्षिक माता पिता गीता देवी।
19. हरिनारायण पुत्र भूरा।
20. रामलाल पुत्र भूरा।

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (प्रथम), जयपुर

Scanned by CamScanner

समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम सुशीलपुरा तहसील व जिला जयपुर।

21. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर जरिये सचिव।

22. राज. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जयपुर जिला जयपुर।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 128 सपठित धारा 111 भू—राजस्व अधिनियम

—::निर्णय::—

दिनांक 25-10-19

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सार संक्षेप मे इस प्रकार है कि प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 266 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 272 रकबा 7 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 13 बिस्वा वाके ग्राम सुशीलपुरा, पटवार हल्का खातीपुरा, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बस्सीसीरामरामपुरा तहसील जयपुर जिला जयपुर स्थित है जिसके खातेदार काश्तकार प्रार्थी है, तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 21 पडौसी काश्तकार है, तथा अप्रार्थी संख्या 22 राजस्थान जरिये राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार है। प्रार्थी ने अपने खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि के सीमाज्ञान हेतु तहसीलदार के समक्ष आवेदन किया, जिस पर सीमाज्ञान किया चुका है। अब माननीय न्यायालय के समक्ष सीमाज्ञान अनुसार प्रार्थी ने पत्थरगढी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवदेन किया है की, श्रीमान भू—प्रबन्ध आयुक्त के आदेश अनुसार प्रार्थी के उक्त खसरा नम्बरान् का सीमाज्ञान दिनांक 04.06.2007 को भू—प्रबन्ध आयुक्त महोदय के आदेश कमांक 745 दिनांक 30.04.2007 की पालना मे पटवारी हल्का एवं भू—प्रंबन्ध विभाग की सर्वे टीम द्वारा उभयपक्षों की उपस्थिति में किया जा चुका है। उक्त कृषि भूमि के सीमांकन अनुसार प्रार्थी पत्थरगढी करवाना चाहता है, पटवारी हल्का व तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 21 को उक्त सीमाकंन अनुसार पत्थरगढी बाबत कोई उज्र हो तो माननीय न्यायालय उन्हे तलब कर प्रार्थी के पक्ष मे सीमाकंन अनुसार पत्थरगढी कराने के आदेश प्रदान करे। जिससे सीमों के विवाद का निस्तारण हो सके।

न्यायालय में प्रार्थी / अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में प्रार्थना प्रस्तुत करने पर अप्रार्थीगण की तामील जारी की गयी। अप्रार्थीगण की प्रोपर तामील नही होने पर प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र 151 आईपीसी पेश किया गया जिसमें अप्रार्थीगणों की तामील हेतु प्रमुख अखबार में प्रकाशन करवाने हेतु प्रकाशन की अनुमति प्रदान की गई । अप्रार्थी 19,20 की ओर से वकालत नामा पेश किया, जेडीए की ओर से भी वकालत नामा पेश किया गया। उपस्थित अप्रार्थीगणो को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया। दिनांक 02.08.2019 अप्रार्थी 01

उप खण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

वकालत नामा पेश किया, जेडीए की ओर से भी वकालत नामा पेश किया गया। उपस्थित अप्रार्थीगणो को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया। दिनांक 02.08.2019 अप्रार्थी 01 से 18 की ओर से उपस्थित नही होने पर एवं एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। 19,20 व 21 को जवाब हेतु अवसर पुनः दिया गया। दिनांक 27.09.2019 को जवाब प्रस्तुत नही करने पर 19,20 व 21 का जवाब अवसर बंद किया गया।

प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थी अधिवक्ता की बहस एक तरफा सुनी गयी। पत्रावली मे उपलब्ध सीमाज्ञान ग्राम सुशीलपुरा, पटवार हल्का खातीपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बस्सीसीतारामपुरा तहसील जयपुर जिला जयपुर के अराजी खसरा नम्बर 266 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 272 रकबा 7 बिस्वा कुल रकबा 13 बिस्वा का ई.डी.एम. मशीन से दिनांक 04.06.2007 को हुए सीमांज्ञान रिपोर्ट का बारिकी से अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है तथा पूर्व में हुए सीमाकंन अनुसार पडौसी खातेदारों को सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति मे पत्थरगढी किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। तहसीलदार जयपुर को उक्त आशय की तहरीर जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार नम्बर से कम हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।

(मुहर: उप खण्ड अधिकारी (प्रथम))

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर (प्रथम), जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर प्रथम, जयपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Yugantar
Date: 2019.11.08 16:59:42 IST
Reason: SelfAttested
Location: